सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर
S.D. GOVERNMENT COLLEGE, BEAWAR
(Accredited AGrade By NAAC)

विवरणिका
PROSPECTUS

2018-2019

महाविद्यालय का 90 वाँ सत्र

टॉडगढ़ रोड़, ब्यावर-305901 (राज.)
दूरभाष नं. 01462-224548, फैक्स नं. 01462-224548
वेबसाइट : http://dce.rajasthan.gov.in/
Email : sdcollegbeawar@gmail.com

उच्च शिक्षा विभाग

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कुलाधिपति	महामहीम कल्याणसिंह
कुलपति	प्रो.विजय श्रीमाली
कुल सचिव	सुश्री रेणु जयपाल

उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा मन्त्री	माननीया श्रीमती किरण महेश्वरी
प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा	श्री सुबोध अग्रवाल
उप सचिव	श्री मूल चंद आर.ए.एस

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा

आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचीव	श्री आशुतोष ए.टी पेडनेकर आई.ए.एस
अतिरिक्त निदेशक	श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा
संयुक्त निदेशक (Administration)	डॉ. कीर्ति शेखावत
संयुक्त निदेशक (HRD)	डॉ. राजेन्द्र शर्मा
संयुक्त निदेशक (Assembly)	
संयुक्त निदेशक(Academic, Plan & Co-ordinator)	डॉ. अमिता गिल

महाविद्यालय प्रशासन

प्राचार्य	डॉ.आर.सी.लोढा

अनुक्रमणिका

1.	हमारे पूर्व प्राचार्य	4
2.	ब्यावर महाविद्यालय : एक विहंगम दृष्टि	5
3.	आवश्यक सूचनाएं	7
4.	उपलब्ध पाठ्यक्रम	11
5.	विषयानुसार वर्ग एवं स्वीकृत स्थानों की संख्या	12
6.	उपस्थिति नियम	13
7.	वित्तीय सूचनाएँ	14
8.	प्रवेश शुल्क	16
9.	छात्रवृत्तियाँ	18
10.	अन्य आर्थिक सहायता प्रावधान	24
11.	पदक एवं पुरस्कार सूचनायें	25
12.	महाविद्यालय विकास समिति	26
13.	पुस्तकालय	28
14.	प्रांगण गतिविधियाँ:-	30
	i) क्रीड़ा विभाग	
	ii) राष्ट्रीय सैन्य दल (छात्र एवं छात्रा)	
	iii) राष्ट्रीय सेवा योजना	
	iv) रोवर दल	
	v) महाविद्यालय पत्रिका-मधुकशा	
	vi) जलपान - गृह	
	vii) छात्र परामर्श केन्द्र	
	viiii) महिला प्रकोष्ठ	
	ix) योजना मंच	
15.	छात्र संघ व परिषदें	40
16.	वाहन नियम	41
17.	महाविद्यालय परिवार:-	42
	अ) प्राचार्य, उपाचार्य एवं संकाय सदस्य	
	ब) मंत्रालयिक कर्मचारी	
	स) सहायक कर्मचारी	
18.	देवनारायण छात्रवृत्ति एवं वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	44
19.	प्रवेश नीति	45
20.	शैक्षणिक सत्र-सारणी	67
21.	सत्र की गतिविधियाँ एवं अवकाश	70
22.	सार्वजनिक अवकाश सूची (निदेशालय द्वारा प्रेषित)	72
23.	सांस्कृतिक गतिविधियाँ कलेण्डर	74
24.	साहित्यिक गतिविधियाँ कलेण्डर	75
25.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कलेण्डर	76
26.	उच्च शिक्षा विभाग के कार्य दिवसों की सारणी एवं विवरण	77
27.	एनसीसी, एनएसएस इत्यादि सम्बन्धी सूचनाऐं	78
28.	रैगिंग कृत्य एवं प्रशासनिक कार्यवाही	79
29.	प्रवेश समितियां एवं सम्पर्क स्थल	80

हमारे पूर्व प्राचार्य

1955-56	प्रो. भीमसेन
1956-58	प्रो. रमेन्द्रनाथ बागची
1958-59	प्रो. शारदाप्रसाद कौशिक
1959-63	प्रो. फतेहसिंह
1963-67	डॉ. रमेन्द्रनाथ बागची
1967 जुलाई-अगस्त	डॉ. ओ.पी. सिंह
1967-68	डॉ. दया कृष्ण माथुर
1968-73	डॉ. रमेन्द्रनाथ चौधरी
1973-75	प्रो. ज्योतिन्द्रलाल बनर्जी
1975-78	प्रो. प्रभात कुमार मजूमदार
1979-80	प्रो. नरेन्द्र कुमार वडेहरा
1980-82	प्रो. सैय्यद तहजीबुल हसन जैदी
1983-84	प्रो. महेश कुमार भार्गव
1984-85	प्रो. आनन्द स्वरूप खुसरिया
1985-86	प्रो. राधेश्याम त्रिपाठी
13 सितम्बर 86 से 22 जनवरी 1987	डॉ. ओमप्रकाश
23 जनवरी 87 से 22 जुलाई 1987	प्रो. राधेश्याम त्रिपाठी
23 जुलाई 87 से 26 अक्टूबर 1987	प्रो. शिवप्रकाश भार्गव
27 अक्टूबर 87 से 2 जुलाई 1988	प्रो. आनन्द स्वरूप खुसरिया
20 जुलाई 88 से 30 नवम्बर 1988	प्रो. श्रीमती सरला वडेहरा
28 दिसम्बर 88 से 30 जून, 1989	प्रो. भगवान स्वरूप सिमलोट
19 अगस्त 89 से 5 जुलाई 1990	प्रो. प्रेम नारायण माथुर
11 जुलाई 90 से 31 दिसम्बर 1992	प्रो. वेद प्रकाश गुप्त
8 जुलाई 93 से सितम्बर 1993	प्रो. राजेन्द्र कुमार माथुर
16 अक्टूबर 93 से 30 जून 1995	प्रो. कान्ति बाबू सक्सेना
8 जुलाई 95 से 3 अप्रेल 1998	प्रो. लाल बहादुर
4 अप्रेल 98 से 22 जुलाई 1998	डॉ. श्रीमती विनोद गर्ग
1 अगस्त 1998 से 15 जुलाई 1999	डॉ. शरतकुमार सेन
15 जुलाई 1999 से 31 मार्च 2001	प्रो. सूरजमल आँचलिया
18 जुलाई 2001 से 31 जुलाई 2002	डॉ. श्रीमती मैत्री चौरसिया
7 अक्टूबर 2002 से 18 नवम्बर 2005	डॉ. निहालचन्द पारख
19 नवम्बर 2005 से 31 जनवरी 2007	डॉ. बालकृष्ण शर्मा
1 फरवरी 2007 से 30 अप्रेल 2007	डॉ. बी.सी. तायल
13 अगस्त 2007 से 30 अप्रेल 2008	डॉ. निहाल चन्द पारख
2 जुलाई 2008 से 30 सितम्बर 2008	डॉ. एस.के. शाह
10 अक्टूबर 2008 से 18 फरवरी 2008	श्री आर.पी. गर्ग
03 मार्च 2009 से 31 दिसम्बर 2009	डॉ. सुधा जैन
6 फरवरी 2010 से 31 जुलाई 2010	श्रीमती नीरा गुप्ता
25 सितम्बर 2010 से 26 जून, 2012	डॉ. नरोत्तम जयपाल
2 जुलाई 2012 से 2 जनवरी, 2013	डॉ. एम. एस. मीणा
3 जनवरी 2013 से 07 अगस्त 2013	डॉ. के.एस. पंवार
26.9.13---- 31.7.14	डॉ. बी.एल.सिंगारिया
16.10.14------30.06.15	डॉ. एम. एम. अग्रवाल
01.07.15 से 31.01.17	डॉ.नलिनी यादव
11.03.17 से 31.07.17	डॉ.एल.सी हेड़ा

प्राचार्य की लेखनी

प्रिय विद्यार्थीवृन्द!

विद्याधन सर्वधन प्रधानम् [illegible]

[illegible]

"बाधाएँ कब बान्ध सकी है, आगे बढ़ने वालों को ?
विपदाएँ कब रोक सकी है, मर कर जीने वालों को ?"

[illegible] 2018-19 [illegible]

[illegible]

प्राचार्य- डॉ आर.सी.लोढ

प्राचार्य, [illegible] महाविद्यालय [illegible]

ब्यावर महाविद्यालय : एक विहंगम दृष्टि

राजस्थान के केन्द्र में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विख्यात ब्यावर नगर दिल्ली-अहमदाबाद रेलमार्ग तथा राष्ट्रीयराजमार्ग संख्या 8व14 पर स्थित है। यह ऐतिहासिक नगरी अजमेर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से राजस्थान ही नहीं वरन् देश की राजधानी तथा कई प्रान्तों के नगरों के लिए सीधी बस व रेल सेवाएं उपलब्ध हैं।

राजस्थान में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की दृष्टि से सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर एक अग्रणी संस्था रही है। इस गौरवशाली महाविद्यालय के इतिहास की शुरूआत सन् 1904 में मात्र एक लघु संस्कृत पाठशाला के रूप में हुई, जो सन् 1926 में हाई स्कूल और सन् 1929 में वाणिज्य इन्टर कॉलेज के रूप में परिणित हुई।

सन् 1955 में राज्य सरकार ने इस महाविद्यालय को अपने अधीन लेकर जुलाई 1955 में कला एवं वाणिज्य में स्नातक कक्षाएं तथा जुलाई 1956 में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिन्दी एवं वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर तथा विज्ञान में स्नातक कक्षाएं प्रारम्भ की गई। जुलाई 1968 में भूगोल में स्नातक स्तर पर ऑनर्स कक्षाएं, जुलाई 1970 में इतिहास तथा राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाएं और इतिहास में स्नातक स्तर पर ऑनर्स कक्षाएं एवं 1971 में रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ हुई। जुलाई 1999 में प्राणिशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ हुई। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 12 विषयों यथा कला संकाय के इतिहास, भूगोल, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, संस्कृत साहित्य व वाणिज्य संकाय के बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबन्ध, लेखा एवं वित्त, व्यावसायिक प्रशासन तथा विज्ञान संकाय के रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही कला संकाय के इतिहास, भूगोल, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, विज्ञान संकाय के प्राणी शास्त्र व रसायन शास्त्र तथा वाणिज्य संकाय के बैंकिंग व वित्तीय प्रबन्ध में पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध सुविधा उपलब्ध है। पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमेस्ट्री की कक्षाएं भी संचालित हैं। महाविद्यालय में कई रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र की स्थापना 2008-09 में निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा दी गई।

वर्ष 2008-09 में महाविद्यालय का मॉडल कॉलेज के रूप में चयन किया गया हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी उत्कृष्टता (English Proficiency) कोर्स चल रहा हैं। महाविद्यालय में समय-समय पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जाती रही है।

सत्र 2009-10 से छात्रों को नवीन सूचनाओं से अवगत कराने के लिए महाविद्यालय को Wi-Fi

तथा LAN प्रणाली से जोड़ दिया गया है । इसी प्रकार महाविद्यालय के पुस्तकालय को DEL NET से जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थी नवीनतम पुस्तकों का इन्टरनेट के माध्यम से उपयोग कर सके। महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न जानकारियां महाविद्यालय की वेबसाइट www.sdgcollegebwr.in पर उपलब्ध हैं। यह महाविद्यालय सह शिक्षा संस्थान है।

सत्र 2018-19 में यहां 3869 विद्यार्थी (2225 छात्र व 1637 छात्राएं) अध्ययनरत थे। यह महाविद्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्ध है।

महाविद्यालय मे विस्तृत क्रीडांगन, सभा भवन, सेमीनार कक्ष दो व्याख्याता कक्ष, चार कम्प्यूटर कक्ष तथा लगभग 36 अध्ययन कक्ष हैं । इस महाविद्यालय में लगभग 112677 पुस्तकों से युक्त एक सुन्दर पुस्तकालय भवन, भूगोल एवं विज्ञान विषयों की प्रयोगशालाएं, साईकिल स्टेण्ड, वनस्पति उद्यान, स्थाई क्लास रुम,खुला रंगमंच है तथा जलपानगृह व छात्रसंघ कार्यालय अवस्थित है।परिसर में प्राचार्य आवास,प्राध्यापकों के लिए 15 आवसीय भवन तथा छात्रावास अधीक्षक भवन भी है।

शैक्षिक दृष्टि से महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए क्रीड़ा विभाग, राष्ट्रीय सैन्यदल (छात्र-छात्रा), राष्ट्रीय सेवा योजना (छात्र-छात्रा), रोवर स्काउटिंग, महिला अध्ययन प्रकोष्ठ, परामर्श केन्द्र, छात्र संघ, विभिन्न परिषदें तथा विभागीय सेमिनार यथासमय आयोजन किया जाता है। यहाँ के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय योग्यता सूची में स्थान, साहित्यिक गतिविधियों में अनेक पुरस्कार व खेल जगत में विश्वविद्यालय एवं प्रान्तीय स्तर पर कई पदक अंर्जन कर, अपना एवं महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। महाविद्यालय एन.एस.एस. स्वयं सेवक, एन.सी.सी के केडेट का राष्ट्रीय स्तर पर गणतन्त्र दिवस परेड़ नई दिल्ली में सहभागिता रही है। हमें आशा है कि इस वर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी महाविद्यालय की गौरवमयी परम्पराओं में अभिवृद्धि कर महाविद्यालय को उच्च शिखर पर पहुँचायेंगे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ।

❖ ❖ ❖

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्था नैक (NAAC) द्वारा सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर को शैक्षणिक एवं शोध कार्य की उत्कृष्टता के फलस्वरूप A ग्रेड प्रदान किया गया है।

महाविद्यालय के चहुंमुंखी विकास हेतु इस ग्रेड के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आर्थिक अनुदान आगामी नये मूल्यांकन तक मिलता रहेगा।

आवश्यक सूचनाएँ

- छात्रगण प्रवेश हेतु आवेदन करने से पूर्व विवरणिका का अध्ययन अवश्य करें।
- अनुशासन की पालना विद्यार्थी का प्रथम कर्त्तव्य है तथा दुर्व्यवहार के लिये विद्यार्थी को निलम्बित किया जा सकता है।
- **नियमित विद्यार्थी महाविद्यालय में सदैव अपना परिचय पत्र अपने पास रखें।**
- परिचय पत्र खो जाने पर दस रूपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर यथाविधि शपथ पत्र प्रस्तुत करने **व निर्धारित फीस जमा कराने पर** प्रतिलिपि परिचय पत्र जारी किया जा सकता है।
- विद्यार्थी अपने खाली कालांश में महाविद्यालय के बरामदों में न घूमें ताकि अन्य विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा न पहुंचे। ऐसे समय में विद्यार्थी पुस्तकालय या छात्र परामर्श केन्द्र का उपयोग करें।
- प्रवेशार्थी के प्रवेश की सूचना, सूचना-पट्ट पर लगाई जाती है। प्रवेशार्थी को निर्दिष्ट तिथि तक महाविद्यालय के सभी शुल्क जमा कराने पर ही उसका प्रवेश वैद्य होगा।
- **विद्यार्थी अंकतालिका की पर्याप्त सत्यापित कॉपी करवाकर अपने पास रखे।**
- प्रवेश नीति के षष्ठ भाग में आरक्षण, रियायतें तथा शुल्क लाभ चाहने वाले प्रवेशार्थी को तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए।
- स्नातक पार्ट प्रथम का स्वयंपाठी छात्र 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर नियमित प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है परन्तु स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध का स्वयंपाठी छात्र उत्तीर्ण होने पर उत्तरार्द्ध में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश का पात्र नहीं है।
- महाविद्यालय के गत सत्र के नियमित छात्र बिना अर्हकारी परीक्षा परिणाम घोषित हुए अण्डरटेकिंग **प्रवेश निति** शुल्क **15.7.18 तक** जमा करा कर दें अन्यथा 200 **रुपये विलम्ब शुल्क देकर** 30.7.18 तक **प्रवेश ले** सकेंगे।
- इस विवरणिका में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का संदर्भ दिया गया है। इन नियमों तथा पाठ्यक्रमों के विषयों के प्रश्न पत्रों के नामकरण तथा योजना में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किये जा सकते है। इन परिवर्तनों की सूचना कॉलेज सूचना पट्ट पर लगा दी जाती है।
- आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी समय-समय पर सूचना पट्ट देखते रहें।
- रैंगिग में संलिप्त न होने का भारत सरकार द्वारा निर्धारित शपथ-पत्र आवेदन पत्र में मुद्रित है। उसे विद्यार्थी एवं उसके माता-पिता/अभिभावक को पूर्णरूप से भरकर ऑथ कमिश्नर से प्रमाणित करवाना आवश्यक है।

❖ ❖ ❖

गुटका जहर है, शराब जीवन का अन्त है।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

I. स्नातक स्तर (त्रिवर्षीय)

1.0 महाविद्यालय में निम्नलिखित त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के पार्ट प्रथम में प्रवेश दिया जायेगा:-

आनवार्य विषय (कला विज्ञान वाणिज्य प्रथम वर्ष हेतु)

1. सामान्य हिंदी / सामान्य अंग्रेजी
2. पर्यावरणीय अध्ययन

कला संकाय

1.01 बी.ए. पार्ट प्रथम-पास कोर्स (कुल स्थान 560) (किसी एक समूह का चयन करें)

1	History	Pol.Sc.	Music
2	Eng.Lit	Eco.	Geography
3	History	Pol.Sc.	Sociology
4	Hindi Lit.	Pol.Sc.	Geography
5	History	Pol.Sc.	Sanskrit
6	History	Pol.Sc.	Eco.
7	History	Pol.Sc.	Geography
8	History	Eco.	Geography
9	Hindi Lit.	Socio.	Sanskrit
10	Hindi Lit.	Socio.	Eng.Lit
11	History	Socio.	Music
12	Pol.Sc.	Socio.	Geography
13	Hindi Lit.	Eco.	Pol.Sc.
14	History	Socio.	Geography

नोट : 1. किसी भी विद्यार्थी को तीन साहित्यिक विषय चुनने का अधिकार नहीं है।

2. विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. 200 के तहत संगीत विषय के साथ अर्थशास्त्र अथवा भूगोल नहीं लिया जा सकता हैं।

1.02 बी.ए. पार्ट प्रथम-ऑनर्स कोर्स (कुल स्थान 80)

क्र.सं.	ऑनर्स विषय	सहायक विषय (Subsidiary Subjects)
1.	इतिहास (40)	राजनीति विज्ञान/अंग्रेजी साहित्य/समाज शास्त्र/अर्थशास्त्र
2.	भूगोल (40)	राजनीति विज्ञान/अर्थशास्त्र/अंग्रेजी साहित्य/समाज शास्त्र

वाणिज्य संकाय

1.2 बी. कॉम पार्ट प्रथम-पास कोर्स (कुल स्थान 320)

वैकल्पिक विषय :
1. बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंध
2. लेखांकन एवं वित्त
3. व्यावसायिक प्रबंध

नोट:- बी.कॉम पार्ट प्रथम में कला तथा विज्ञान से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नांकित अतिरिक्त विषय होंगे : (For Non-Commerce)

(1) व्यावसायिक अध्ययन एवं अभिकोषण (2) बही खाता

विज्ञान संकाय

1.3 बी.एससी. पार्ट प्रथम-पास कोर्स (कुल स्थान 210)

निम्नांकित समूह में से कोई एक समूह के वैकल्पिक विषयों का चयन करना होगा

समूह 1. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित (70)

समूह 2, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा प्राणीशास्त्र (140)

1. सभी संकायों के स्नातक पार्ट प्रथम में सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिन्दी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय होंगें।

2.0 बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी. पार्ट द्वितीय (पास तथा ऑनर्स कोर्स) में गत वर्ष के वैकल्पिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा।

3.0 बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी. पार्ट तृतीय (पास तथा ऑनर्स कोर्स) में गत वर्ष के वैकल्पिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा।

II. स्नातकोत्तर स्तर (द्विवर्षीय)

कला- संकाय

कला संकाय के निम्न विषयों में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश दिया जायेगा :-

1. अर्थशास्त्र **(60)**
2. इतिहास **(60)**
3. भूगोल **(60)**
4. राजनीति विज्ञान **(60)**
5. समाजशास्त्र **(60)**
6. संस्कृत साहित्य **(60)**
7. हिन्दी साहित्य **(60)**

वाणिज्य- संकाय

वाणिज्य संकाय के निम्न विषयों में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश दिया जायेगा :-

1. बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबन्ध **(60)**
2. लेखा एवं वित **(60)**
3. व्यावसायिक प्रशासन **(60)**

विज्ञान -संकाय

विज्ञान संकाय के निम्न विषयों में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (सेमेस्टर I, II) में प्रवेश दिया जायेगा :-

1. रसायनशास्त्र **(30)**
2. प्राणीशास्त्र **(30)**

प्राणीशास्त्र तथा रसायशास्त्र के स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में शिक्षक अभ्यर्थी के लिए एक-एक सीट आरक्षित है।

नोटः- स्नातकोत्तर विषयों में वही प्रश्न-पत्र लिये जा सकेंगे जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अन्तर्गत इस महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग प्रभारी से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता हैं।

III. स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय)

पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमेस्ट्री-विज्ञान के 20 स्नातक छात्र एवं छात्राओं के लिए प्रवेश सुविधा उपलब्ध है।

IV. पीएच. डी. (शोध कार्य सुविधा)

निम्नलिखित स्नातकोत्तर विभागों में अधिकृत सहआचार्य एवं सहायक आचार्य के निर्देशन में पी.एच एच.डी के लिए शोध की सुविधाएं उपलब्ध है। इच्छुक विद्यार्थी संबंधित विभाग प्रभारी से सम्पर्क कर सकते है। शोध छात्रों द्वारा नियमित प्रवेश लेने पर ही पी.एच.डी. उपाधि के लिए प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत शोध निदेशक निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	संकाय	पीएच.डी. (शोध कार्य सुविधा विभाग)	संकाय सदस्य
1	कला संकाय	1. इतिहास -	डॉ. नरेन्द्रसिंह भाटी
		2. संस्कृत	डॉ. सहदेव शास्त्री डॉ. आशुतोष पारीक
2	विज्ञान संकाय	1. रसायन शास्त्र-	डॉ. सोनराज मोसलपुरी
		2. प्राणी शास्त्र-	डॉ. चन्द्रेश पारीक डॉ. दीपालीलाल
3	वाणिज्य संकाय	1. लेखा एवं वित्त 1. बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबन्ध-	डॉ. आर. सी. लोढ़ा

टेस्ट एवं पूर्व परीक्षा

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय कक्षा टेस्ट एवं पूर्व परीक्षा में बैठना आवश्यक है। इन तीनों परीक्षणों में बैठकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार 5 प्रतिशत बोनस उपस्थिति लाभ देय होगा।

विषयानुसार वर्ग एवं स्वीकृत स्थानों की संख्या

विषय वर्ग के आगे कोष्ठक ( ) में प्रवेश के लिए स्वीकृत स्थानों की अधिकतम संख्या अंकित है:-

संकाय / विषय	स्नातक						स्नातकोत्तर या डिप्लोमा	
	पास कोर्स			ऑनर्स				
	पार्ट I	पार्ट II	पार्ट III	पार्ट I	पार्ट II	पार्ट III	पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध
विज्ञान संकाय								
1. सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी	3(210)	–	–	–	–	–	–	–
2. प्रारम्भिक कम्प्यूटर	3 (210)	–	–	–	–	–	–	–
3. रसायन विज्ञान	3 (210)	2	2	–	–	–	1 **(20)**	1
4. प्राणी शास्त्र	2 (140)	1	1	–	–	–	1 **(20)**	1
5. वनस्पति शास्त्र	2 (140)	1	1	–	–	–	–	–
6. गणित	1 (70)	1	1	–	–	–	–	–
7. भौतिक विज्ञान	1 (70)	1	1	–	–	–	–	–
8. पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमेस्ट्री	–	–	–	–	–	–	1 **(20)**	–
वाणिज्य संकाय								
1. सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी	4(320)	–	–	–	–	–	–	–
2. प्रारम्भिक कम्प्यूटर	4(320)	–	–	–	–	–	–	–
3. ए. बी. एस. टी.	4(320)	3	3	–	–	–	1 **(60)**	1
4. ई. ए. एफ. एम.	4(320)	3	3	–	–	–	1 **(60)**	1
5. व्याव. प्रशासन	4(320)	3	3	–	–	–	1 **(60)**	1
कला संकाय								
1. सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी	7 (560)	–	–	–	–	–	–	–
2. प्रारम्भिक कम्प्यूटर	7 (560)	–	–	–	–	–	–	–
3. अर्थशास्त्र	2 (160)	2	2	–	–	–	1 **(60)**	1
4. इतिहास	4 (320)	4	3	1 (40)	1	1	1 **(60)**	1
5. भूगोल	3 (240)	3	3	1 (40)	1	1	1 **(60)**	1
6. राजनीति विज्ञान	4 (320)	4	3	–	–	–	1 **(60)**	1
7. समाजशास्त्र	3 (240)	3	2	–	–	–	1 **(60)**	1
8. संस्कृत साहित्य	1 (80)	1	1	–	–	–	1 **(60)**	1
9. हिन्दी साहित्य	2 (160)	1	1	–	–	–	1 **(60)**	1
10. अंग्रेजी साहित्य	1 (80)	1	1	–	–	–	–	–
11. संगीत (कंठ)	1 (40)	1	1	–	–	–	–	–

उपस्थिति नियम

नियमित विद्यार्थियों के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक-पृथक रूप से न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देनी होगी। इसके लिए नियत समय में शुल्क का अन्तर जमा कराना होगा। यदि विद्यार्थी अन्तिम वर्ष स्नातक का परीक्षार्थी है तो उसके प्रमाण-पत्र में स्वंयपाठी का अंकन होगा। इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थी को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने का परामर्श दिया जाता है।

एक पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण व विलम्ब से प्रवेश की स्थिति में भी उपस्थिति की गणना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से ही की जायेगी।

उपस्थिति की अपेक्षित पूर्ति पर ही विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने का पात्र होगा । इसके अभाव में वह छात्रवृत्ति से वंचित होगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसका पूर्णतया ध्यान रखें।

विद्यार्थी को अपनी उपस्थिति संबंधित सहआचार्य, सहाकय आचार्य से प्रत्येक माह के अन्त में ज्ञात कर लेनी चाहिए। प्रत्येक टर्म के अन्त में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थी की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाती हैं एवं अभिभावकों को पत्र द्वारा सूचित किया जाता हैं।

उपस्थिति में छूट का प्रावधान :

(1) यदि महाविद्यालय द्वारा चयनित विद्यार्थी ने एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प, अन्तर्महाविद्यालय / अन्तर्विश्वविद्यालय राज्यस्तरीय खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा युवा समारोह में भाग लिया है तो विद्यार्थी को उपस्थिति का लाभ कार्यक्रम में भाग लेने वाले दिनों के बराबर दिनों का मिलेगा।

(2) महाविद्यालय द्वारा आयोजित तीन परीक्षणों में उत्तीर्ण विद्यार्थी को 5 प्रतिशत बोनस उपस्थिति का लाभ देय होगा।

(3) बीमार छात्र द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर:-

(अ) प्राचार्य द्वारा प्रत्येक विषय में अधिकतम 3 प्रतिशत की छूट।

(ब) विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रत्येक विषय में अधिकतम 6 प्रतिशत की छूट।

❖ ❖ ❖

जीत उसी की होती है जो सत्य और न्याय का समर्थक होता है।

वित्तीय सूचनाएँ

शिक्षण शुल्क :

शिक्षण शुल्क सम्पूर्ण वर्ष 1 July 15 to 30 June 2016 के लिए देय होगा। प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथियों पर शिक्षण शुल्क एक मुश्त जमा कराना होगा। प्रवेश शुल्क की तालिका आगे अंकित है।

शिक्षण शुल्क मुक्ति :

राजकीय नियमानुसार निम्नांकित श्रेणियों के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क-मुक्ति का लाभ दिया जा सकेगा:-

1. आयकर नहीं देने वाले राज्य कर्मचारियों (राजपत्रित-अराजपत्रित) के परिवार के सदस्यों के सामान्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। उन्हें आयकर दाता न होने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नियोक्ता से प्राप्त कर संस्था-प्रधान को प्रस्तुत करना होगा। यह सुविधा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी मिलेगी।
2. समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों से (चाहे उनके माता-पिता या अभिभावक आयकर-दाता हो एवं उन्हें भारत सरकार से छात्रवृत्तियां मिलती हो) कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। उनसे अतिरिक्त छात्र-निधि शुल्क भी कम लिया जायेगा। यह पृथक से निर्दिष्ट है। इस हेतु जिला कलेक्टर/तहसीलदार/प्रथम श्रेणी दण्डनायक का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3. छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र, पुत्रियों एंव आश्रितों को नियम 10 राजस्थान राजनीतिक पीड़ित सहायता नियम 1959 के अनुसार शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है। इस सम्बन्ध में विद्यार्थी द्वारा वास्तव में राजनीतिक पीड़ित के आश्रित होने का प्रमाण पत्र जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी/प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
5. वे विद्यार्थी जो राजकीय नियमानुसार स्वर्णकारों पर आश्रित है तथा जिनके संरक्षक/पिता की वार्षिक आय 1600 रू. से अधिक नहीं हैं।
6. नेफ़ा एवं लेह, लद्दाख के क्षेत्र में लड़ाई के अन्तर्गत वीरगति पाने, अपंग होने वाले एवं ऑपरेशन एरिया में कार्यरत सैनिक जिनका वेतन 400 रू. प्रति माह था तथा जो राजस्थान में बस गये हैं, इन पर आश्रित छात्रों को शिक्षण शुल्क (छात्र निधि के अतिरिक्त) में छूट दी जा सकती है। अन्य भूतपूर्व सैनिकों को इस सुविधा के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
7. सेना के अधिकारियों एवं जवानों जिन्होंने पाकिस्तान युद्ध 1971 में वीरगति पाई या अपंग हुए है, आश्रित छात्र को शिक्षण शुल्क में छूट का लाभ देय है।

8. छात्र/छात्रा के पिता ही उनके संरक्षक होते है तथा उनकी आय ही शुल्क गणना के लिए मानी जायेगी। यदि पिता मृत है तो अन्य को संरक्षक माना जाकर उनकी आय को शुल्क में छूट के लिए मानी जा सकेगी।

9. यदि पिता जीवित है तो केवल माता, जो राज्य सरकार की कर्मचारी है की आय के आधार पर छात्र को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है ।

10. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा में कार्यरत कर्मचारी जिनका मूल वेतन 400 रूपये मासिक से कम हो, पूर्णत: निर्भर विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क में मुक्ति दी जायेगी।

11. पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया में संशोधन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 9 (8) कार्मिक क-5/10 दिनांक 21.03.1994 के अनुसार किया गया है। तदनुसार निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर शुल्क मुक्ति में छूट दी जायेगी। तत्पश्चात् सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/ आर.एन.पी./सा.न्या. अ. वि/12/7376-409 दिनांक 24.01.2013 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शुल्क मुक्ति में छूट दी जायेगी।

नोट:-

1. विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत शुल्क मुक्ति चाहने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ ही निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। एक बार शुल्क जमा करा देने के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रदत्त शुल्क की राशि नहीं लौटाई जायेगी।

2. स्नातक स्तर पर संकाय/विषय परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन की अवधि में 100/- रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवा कर प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेगा। (प्रवेश नियम 2.4)

नोट : पूरक परीक्षा के विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश (आगे की कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश) के पश्चात् असफल होने पर फीस का पुन: भुगतान नहीं होगा।

❖ ❖ ❖

सम्मान, प्रसन्नता एवं सहयोग का सुख भी उसी को मिलता है जो दूसरों की सद्भावना प्राप्त कर सके।

प्रवेश शुल्क

सत्र 2018–19 में प्रवेश के लिए महाविद्यालय में फीस ढांचा निम्नानुसार रहेगा –

	सामान्य			SC/ST/OBC/SBC	
	आयकर दाता छात्र	आयकर दाता नहीं छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
राजकीय					
1. प्रवेश शुल्क	2	2	2	2	2
2. शैक्षिक शुल्क					
अ. स्नातक प्रथम वर्ष एवं आनर्स प्रथम	144	42	–	–	–
ब. स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं आनर्स	180	54	–	–	–
स. पी.जी. व पीएच.डी.	240	96	–	–	–
3. प्रयोगशाला शुल्क					
अ. स्नातक	100	100	100	100	100
ब. स्नातकोत्तर व पीएच.डी.	150	150	150	150	150
योग					

		अराजकीय शुल्क				
			सामान्य छात्र	सामान्य छात्रा	आरक्षित वर्ग छात्र	आरक्षित वर्ग छात्रा
1		पुस्तकालय / वाचनालय				
	A	मुक्त प्रवेश प्रणाली शुल्क	10	10	10	10
	B	पुस्तकालय कार्ड,वाचनालय,पुस्तकालय	50	50	50	50
2		सामान्य प्रयोजन शुल्क	100	100	80	80
3		छात्र गतिविधि				
	A	पत्रिका प्रकाशन	30	30	30	30
	B	टर्मिनल टेस्ट	20	20	20	20
	C	परिषद	10	10	10	10
	D	योजना मंच	10	10	10	10
	E	पर्यावरण विकास	30	30	30	30
	F	स्काउटिंग	10	10	10	10
	G	परिचय–पत्र	10	10	10	10
4		छात्रसंघ	40	40	40	40
5		क्रीड़ा शुल्क	130	130	130	130
6		अवधान राशि (केवल नवीन प्रवेश पर)	10	10	10	10
7		कम्प्यूटर शुल्क (केवल प्रथम वर्ष विद्यार्थी हेतु) निदेशालय द्वारा निर्देशन पर परिवर्तन संभव	450	450	450	450
8		महाविद्यालय विकास शुल्क	100	100	100	100

9		विद्यार्थी बीमा प्रीमियम	50	50	50	50
10		महिला प्रकोष्ठ (केवल छात्राओं के लिए)	—	20	—	20
11		महाविद्यालय विकास समिति शुल्क	100	100	100	100
12		अन्य शुल्क				
	A	साईकिल स्टेण्ड	ठेकेदार द्वारा			
	B	स्कूटर स्टेण्ड				
	C	कार पार्किंग				
13		छात्रावास शुल्क				
	I	पानी	300	—	300	—
	II	विद्युत	2000	—	2000	—
	III	सामान्य प्रयोजन	60	—	60	—
14		डुप्लीकेट पुस्तकालय कार्ड	20	20	20	20
15		डुप्लीकेट परिचय पत्र	100	100	100	100
16		स्थानांतरण प्रमाण पत्र				
	I	राजकीय शुल्क	2	2	2	2
	II	विकास समिति शुल्क	48	48	48	48
17		चरित्र प्रमाण पत्र (विकास समिति शुल्क)	20	20	20	20
18		पी.एच.डी. शोधार्थी पुस्तकालय शुल्क				
	I	अवधान राशि (एक बार)	400	400	400	400
	II	वार्षिक शुल्क	100	100	100	100

नोट :

1. नवीनीकरण के विद्यार्थियों से अवधान राशि नहीं ली जायेगी।
2. महाविद्यालय छोड़ने पर चरित्र प्रमाण–पत्र दो वर्षों में प्राप्त कर लिया जाना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार उसकी प्रमाणित प्रति का उपयोग करना चाहिए।
3. शुल्क में परिवर्तन (वृद्धि या कमी) करने का अधिकार राज्य सरकार / महाविद्यालय प्रशासन के लिए सुरक्षित है।
4. आय से तात्पर्य समस्त नियमानुसार कटौतियों के बाद 2014–15 की शुद्ध कर योग्य आय से है। आय में सत्र भर परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
5. आय प्रमाण पत्र राजपत्रित / सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
6. जमा कराया शुल्क वापिस नहीं लौटाया जायेगा।
7. विश्वविद्यालय शुल्क यथा परीक्षा, प्रवेजन, नामांकन आदि विश्वविद्यालय की सूचनाओं के अनुसार देय होगा।

छात्रवृतियाँ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्प संख्यक कल्याण मन्त्रालय, श्रम कल्याण विभाग आदि द्वारा प्रदत्त छात्रवृतियाँ

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 –

यह छात्रवृति स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए है तथा अधिकतम 5 साल तक बिना अन्तराल तथा प्रत्येक कक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाने पर देय होगी। जिन्होने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा जिनके पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रु. या इससे कम है आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी विस्तृत जानकरी के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज की वेबसाइट http://www.dce.rajasthan.gov.in

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृतियां :-

(A) उत्तर मैट्रिक छात्रवृतियां (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग)

(1) आवेदन पत्र :- महाविद्यालय में अध्ययनरत पात्र नियमित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन भरना होगा। जिसमें निम्न संलग्नक आवश्यक है :-

(क) निर्धारित स्थानों पर स्वयं के हस्ताक्षरित फोटोग्राफ पिता के तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करअपलोड क

(ख) गत उत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंकतालिका से अपलोड करावे।

(ग) जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया हुआ होना चाहिए।

(घ) तहसीलदार द्वारा जारी माता-पिता का आय प्रमाण पत्र /दो उत्तर दायी व्यक्तियों द्वारा जारी परिशिष्ट'द'आय प्रमाण--पत्र

(च) माता-पिता के जीवित नहीं होने की स्थिति में जिस पर आश्रित है उसका संरक्षक/अभिभावक का तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि। यदि पिता जीवित नहीं हो तो आवेदन पत्र के साथ पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न करनी होगी।

(छ) परिचय पत्र

(ज) महाविद्यालय में प्रवेश की शुल्क जमा की मूल रसीद से ही अपलोड करे।

(झ) बैंक में खुलवाये गये बचत खाते की पास बुक की प्रमाणित प्रतिलिपी। (ञ) विश्व विद्यालय परीक्षा शु ल्क रसीद

2. अपात्रता :-

(1) शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने पर जैसे बी.काम. करने के बाद बी.ए. में या एक विषय में एम.ए. करने के बाद दूसरे विषय में एम.ए. करना।

(2) पूर्णकालिक नियोजन वाले छात्रों को

(3) अंशकालीन पाठ्यक्रमों के लिए

(4) दो से अधिक बच्चों के लिए नहीं, इसकी घोषणा करनी होगी।

(5) अन्य छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्रों को

(6) ऐसे विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता की वार्षिक आय निम्न विवरण से अधिक होने पर कोई छात्रवृति देय नहीं होगी।

अनु. जाति 2,00,000 रूपये, अनु. जनजाति 2,00,000 रूपये, अन्य पिछड़ा वर्ग 1,00,000 रुपये व विशेष पिछड़ा वर्ग 1.44 लाख

(3) अनुरक्षण भत्ता (रूपयों में)

(a) अनुसूचित जाति-जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राचार्य के माध्यम से निम्न दर के अनुसार अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है।

	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
(क) स्नातकोत्तर-कला/वाणिज्य/विज्ञान	820	530
(ख) स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा पी.जी. डिप्लोमा	570	300

(b) अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को विभाग द्वारा जारी वरियता सूचीवार के निम्नानुसार अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है।

ग्रुप	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
(क) स्नातक पार्ट प्रथम	नियमानुसार	210
(ख) स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	नियमानुसार	210
(ग) स्नातकोत्तर	नियमानुसार	335

(4) आय जाँच :-

(1) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय 2.50लाख /- (आयकर प्रावधान के अनुसार मकान किराया भत्ता घटाकर) तक या इससे कम होने पर छात्रवृति का भुगतान पूरी दर से किया जायेगा।

(2) अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय2.50 लाख/- (आयकर प्रावधान के अनुसार मकान किराया भत्ता घटाकर) तक या इससे कम होने पर छात्रवृति का भुगतान पूरी दर से किया जायेगा।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख/- व विशेष पिछड़ा वर्ग 2.50 लाख (आयकर प्रावधान के अनुसार मकान किराया भत्ता घटाकर) तक या इससे कम होने पर छात्रवृति का भुगतान पूरी दर से किया जायेगा।

(5) फीस :- छात्र द्वारा संस्था या विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जावेगा किन्तु इनमें कॉशन मनी तथा प्रतिभूति जमा सम्मिलित नहीं होगी।

(6) अवधि तथा नवीनीकरण :-

अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी। इसके लिए छात्रों का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 26.03.2004 के बिन्दु पर भी विचार किया जायेगा ।

(7) भुगतान :-

प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्रों की जाच करवा कर अग्रेषित किये जायेगें। छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रेल या नामांकन के माह में (20 तारीख बाद करने या अगले माह) जो भी पहले हो, से परीक्षा होने तक किया जायेगा। राजस्थान सरकार के नवीनतम नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा। विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत सूचना दिये जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

(8) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ता :-

अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियों हेतु भत्ता		ओबीसी के विद्यार्थियों हेतु भत्ता	
पाठ्यक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रू. प्रतिमाह)	समूह	पाठक भत्ता (रू. प्रतिमाह)
समूह - I, II	240	A.B.C.	100
समूह - III	200	D	75
समूह - IV	160	E	50

(ख) विकलांग छात्रों के लिए प्रतिमाह 100 रूपये भत्ते का प्रावधान है, यदि वह छात्र संस्थान के परिसर में स्थित छात्रावास में नहीं रहता हो।

(ग) विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति :-
अंधे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग (ऑर्थोपेडिकली हैण्डिकैप्ड) छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(B) अत्यन्त निर्धन छात्रों को भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(C) महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को भी सीधे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है।

अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृति :-
महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को इस मन्त्रालय द्वारा छात्रवृति/सहायता प्रदान की जाती है।

श्रम कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृति :- NSP पोर्टल पर लाइमस्टोन कामगारों के बच्चे/ बीड़ी श्रमिकों के आश्रित बच्चों को, जो इस महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है, सीधे श्रम कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है।

सुमेधा (जयपुर स्थित संस्था) द्वारा भी मेधावी नियमित विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड अजमेर द्वारा प्रदत्त छात्रवृति :-
उच्च माध्यमिक की परीक्षा में 80 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक लाने वाले विद्यार्थी को मा.शि.बोर्ड, अजमेर द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन करने तक छात्रवृति दी जाती है।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना नियम 2011 :-
(योजना राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर तय होगी।) राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लंबाना, 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया, 3. गुर्जर, गूजर, 4. राईका, रैबारी (देवासी)] की छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से रा.मा.शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय मा.शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्राओं को उनकी प्रतिशत वरीयता के आधार पर 500 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण एवं डिग्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा में क्रमशः 60 प्रतिशत या अधिक अंक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि (स्नातक हेतु 10,000 एवं स्नातकोत्तर हेतु 20,000) राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगी।

पात्रता :- (1) राजस्थान की मूल निवासी, नियमित अध्ययनरत, (2) छात्रा के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिय आय रूपये 2,00,000/- (रु. दो लाख) से कम हो। (3) अविवाहित छात्रा हो (4) जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति मिल रही हो, उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

टिप्पणियाँ :-

1. नूतन से तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष अर्थात् स्नातक पार्ट-प्रथम, स्नातकोत्तर से पूर्वार्द्ध या डिप्लोमा कक्षा में प्रवेश लेने वाले वर्ष में प्रथम बार मिलने वाली छात्रवृति से है। नवीनीकरण से आशय उस पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पार्ट प्रथम के बाद वाले वर्षों की छात्रवृति से है।
2. छात्रवृति की अवधि से तात्पर्य पाठ्यक्रम की अवधि से है। जैसे- स्नातक उपाधि हेतु 3 वर्ष तथा स्नातकोत्तर हेतु 2 वर्ष आदि।
3. सभी प्रकार की छात्रवृतियों के नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी का अच्छा आचरण एवं उपस्थिति की नियमितता आवश्यक है।
4. आयुक्तालय छात्रवृतियों सम्बन्धी आवेदन पत्र सम्बन्धित आवेदन पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था के प्राचार्यों से या आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से 50 पैसे प्रति फार्म या निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध होंगे तथा उन्हीं को प्रस्तुत किये जाने है। राष्ट्रीय छात्रवृति के नूतन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के स्थायी पते पर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। अध्यापकों के बच्चों को देय राष्ट्रीय छात्रवृति/नूतन आवेदन पत्र निदेशक से प्राप्त किये जाते हैं तथा पूर्णरूप से भरकर उसी अधिकारी को भेजे जाते हैं।
5. वेतन भोगी कर्मचारियों की दशा में आय की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार की जायेगी।

छात्रवृत्तियाँ - आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त

क्र.सं.	छात्रवृत्ति	पात्रता	आय सीमा	दर प्रतिमाह	
				छात्रावासी (रू.)	अछात्रावासी (रू.)
1.	राष्ट्रीय	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में आने पर तथा अन्य छात्रवृत्ति धारक न होने पर। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता-पिता की कुल वार्षिक आय 1 लाख रू. से अधिक न हो। (स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु आय सीमा नहीं)	100 120 300	60 स्नातक पार्ट -I 90 स्नातक पार्ट - II,III व स्नातकोत्तर 120
2.	आवश्यकता एवं योग्यता	राजस्थान के विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी/उपाध्याय या किसी महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता-पिता की कुल वार्षिक आय 20,000/- से अधिक न हो।	200 240 600	120 स्नातक पार्ट -I 180 स्नातक पार्ट - II,III व स्नातकोत्तर 240
3.	अध्यापकों के बच्चों को देय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण की एवं निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा चयनित। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता-पिता की कुल वार्षिक आय 25,000/- से अधिक न हो।	100 120 300	60 स्नातक पार्ट -I 90 स्नातक पार्ट पार्ट - II,III व स्नातकोत्तर 120
4.	मृतक राज्य कर्मचारी के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	1. राज्य सेवा में कार्य करते हुए मृत कर्मचारी के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत्त बच्चों के लिए। 2. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययन करने व उत्तीर्ण होने पर नोट-अन्य छात्रवृत्ति के साथ देय नहीं।	कोई आय सीमा नहीं	500 रूपये स्नातक स्तर पर 750 रू. स्नातकोत्तर दस माह तक देय	500 रूपये स्नातक स्तर पर 750 रू. स्नातकोत्तर स्तर पर दस माह तक देय

क्र.सं.	छात्रवृत्ति	पात्रता	आय सीमा	दर प्रतिमाह	
				छात्रावासी(रू)	अछात्रावासी (रू)
5.	स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों व पोतों को अध्ययन होने एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर देय	14,400 रू. वार्षिक	100	60
6.	भारत-पाक एवं चीन युद्ध में मृतक सैनिक के बच्चों/ विधवाओं को छात्रवृत्ति	इन युद्धों में मृतक या अपंग सैनिकों के बच्चों व विधवाओं को जो महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत है।	एन्टाइटलमेंट कार्ड के आधार पर	100	60
7.	ललित कला छात्रवृत्ति	राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर से माध्यमा/विशारद में 60 प्रतिशत या अधिक अंकों में उत्तीर्ण होकर विशारद/निपूर्ण में प्रवेश लेने पर	आयकरदाता नहीं हो	120 (निपुण)	60 (विशारद को)
8.	ललित कला छात्रवृत्ति	राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाउण्डेशन कोर्स 60 प्रतिशत या अधिक अंकों में उत्तीर्ण होकर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर	आयकरदाता नहीं हो	90 नवीनीकरण	60
9.	राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर।	आयकरदाता नहीं हो	150	150
10.	उर्दू छात्रवृत्ति	स्नातक स्तर पर राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं के 50 प्रतिशत अंकों के साथ महाविद्यालय में उर्दू ऐच्छिक	आयकरदाता नहीं हो	100 रूपये स्नातक स्तर पर 150 रूपये	100 रूपये स्नातक स्तर पर 150 रूपये स्नातकोत्तर स्तर पर

क्र.सं.	छात्रवृत्ति	पात्रता	आय सीमा	दर प्रतिमाह	
				छात्रावासी (रू.)	अछात्रावासी (रू.)
		विषय लेकर पढ़ने पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को उर्दू विषय लेकर पढ़ने पर			
11.	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो। एवं नवीनीकरण 50 प्रतिशत अंक पर	अभिभावकों को वार्षिक आय एक लाख रू./या इससे कम हो	200 280 600	120 स्नातक पार्ट -I 180 स्नातक पार्ट - II,III 240 स्नातकोत्तर
12.	अनुसूचित जाति/जनजाति (राजस्थान) के बाहर अध्ययनरत	राजस्थान के मूल निवासी जो राजस्थान के बाहर अध्ययनरत है को देय।	माता-पिता की आय रू. 1,00,000 से अधिक न हो। आयकर अधिनियम के तहत मकान किराये की छूट घटाकर	I- 740 II- 510 III-355 IV-235 समूह के लिये छात्रवृत्तियों की टेबल देखें	330 330 185 140
13.	कारगिल आश्रित	कारगिल शहीदों के आश्रितों को देय		300 प्रतिमाह	300 प्रतिमाह

❖ ❖ ❖

श्रेष्ठ पुस्तकें व महापुरूषों की जीवनियां जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

हरियाली प्राकृतिक छटा का अंग है इसे नष्ट न कीजिये।

पदक एवं पुरस्कार सूचनाएँ

महाविद्यालय में शैक्षणिक योग्यता के उच्चतम मानदण्ड स्थापित करने पर निम्नांकित पदक एवं पुरस्कार विद्यार्थियों को दिये जाते है :-

पदक - विज्ञान संकाय

क्र.	पदक	प्रायोजक	प्राप्तकर्त्ता
1.	श्री संजय प्रधान स्मृति पदक	डॉ. वीणा प्रधान	गणित विषय में स्नातक स्तर पर सर्वाधिक अंक।
2.	श्री जहूर मोहम्मद स्मृति पदक	डॉ. एम. हसन	रसायनशास्त्र में स्नातक स्तर पर सर्वाधिक अंक।
3.	श्रीमति हज्जन बिसमिल्लाह पदक	डॉ. एम. हसन	रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक अंक।
4.	श्री माणकमल मेहता स्मृति पदक	डॉ. वी. पी. मेहता	बी.एससी. (बायो.) में सर्वाधिक अंक।
5.	श्री मोतीलाल पारख पदक	डॉ. एन. सी. पारख	स्नातक स्तर पर भौतिक शास्त्र में सर्वाधिक अंक।

पदक-कला संकाय

1.	श्री पंकज शर्मा स्मृति पदक	श्री गणपतलाल शर्मा	स्नातक स्तर पर इतिहास विषय में सर्वाधिक अंक।
2.	प्रो. रतनसिंह स्मृति पदक	डॉ. एन. एस. भाटी	स्नातकोत्तर स्तर पर इतिहास विषय में सर्वाधिक अंक।
3.	श्री भंवरलाल पारख पदक	डॉ. एन. सी. पारख	स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय में सर्वाधिक अंक।
4.	श्री देवीलाल यादव पदक	श्री देवेन्द्रसिंह यादव	स्नातक स्तर पर राजनीतिशास्त्र विषय में सर्वाधिक अंक।

पदक - वाणिज्य संकाय

1.	श्री गोविन्द डाणी स्मृति पदक	डॉ. आर. एस. अग्रवाल	स्नातक स्तर पर सर्वाधिक अंक।
2.	श्री गोरधनलाल टेलर स्मृति पदक	डॉ. एस. एन. टेलर	स्नातक स्तर पर लेखांकन एवं वित्त सर्वाधिक अंक।
3.	श्रीमती गायत्रीदेवी दूबे स्मृति पदक	डॉ. बी. एन. दुबे	स्नातक स्तर पर व्यावसायिक प्रबन्ध में सर्वाधिक अंक।
4.	श्री बाबूलाल लोढा स्मृति पदक	डॉ. आर. सी. लोढ़ा	स्नातक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबन्ध में सर्वाधिक अंक।
5.	श्री धूलचन्द हेडा स्मृति पदक	श्री ओमप्रकाश हेड़ा	व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम स्थान के साथ सर्वाधिक अंक।
6.	श्री राधेश्याम बंसल स्मृति पदक	श्री योगेश बंसल	बैंकिंग एवं वितीय प्रबन्ध में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक अंक।
7.	श्री रंगलाल खींचा स्मृति पदक	डॉ. आई. एम. खींचा	वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक अंक।
8.	श्री बृजमोहन बंसल स्मृति पदक	श्री योगेश बंसल	एम.कॉम.(प्रो.) ईएएफएम में सर्वाधिक अंक

महाविद्यालय विकास समिति

वित्तीय वर्ष 2000-2001 बजट भाषण के बिन्दु संख्या 99 की क्रियान्विति में राज्य सरकार के आदेश संख्या शिक्षा (ग्रुप-3) प. 10 (3) शिक्षा-3/2001 दिनांक 17.03.2001 व निदेशक कॉलेज शिक्षा के पत्र संख्या पं. 20 (101)4/लेखा/निकाशि/2001/आयोजन/1140-1259 दिनांक 31.08.2001 की अनुपालना में इस महाविद्यालय में स्थानीय महाविद्यालय विकास समिति का गठन किया गया। समिति के उद्देश्य महाविद्यालय विकास के सर्वांगीण विकास हेतु स्थाई कोष का निर्माण व वृद्धि, चल-अचल सम्पत्ति का संग्रहण व प्रबन्ध, विद्यार्थियों के लिए शुल्क निर्धारण, जन-सहयोग / दानदाता / ट्रस्ट / सांसद/ विधायक विकास कोष की सहायता से महाविद्यालय में निर्माण कार्य करवाना, पुस्तकालय व खेलकूद विभागों में आधारभूत सुविधाओं में संवाद स्थापित करना, शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयास व प्रबन्ध, छात्र परामर्श केन्द्र की स्थापना, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों का अभिनन्दन करना, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिला विद्यार्थियों की समस्या का समाधान, महाविद्यालय परिसर का विकास एवं सौन्दर्यीकरण, फर्नीचर व उपकरण उपलब्ध करना, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का विकास, राष्ट्रीय जन चेतना कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहन करना तथा महाविद्यालयमें कर्मचारियों की कमी को देखते हुये प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु कर्मचारियों को रखना तथा महाविद्यालय विकास कोष का निर्माण करना आदि निर्धारित किये जाते है।

महाविद्यालय विकास समिति का संगठन इस प्रकार है:-

1.	डॉ.आर.सी.लोढा	प्राचार्य	अध्यक्ष (पदेन)
2.	श्री हरी ओम सिंह राठौड	सांसद	पदेन सदस्य
3.	श्री शंकर सिंह रावत	विधायक	पदेन सदस्य
4.	श्रीमती बबिता चौहान	सभापति (नगर-परिषद्)	पदेन सदस्य
5.		उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर	पदेन सदस्य
6.	प्रो. जगदीश प्रसाद टेलर	स्थानीय शिक्षाविद्	सदस्य
7.	डॉ.एल.एन.बल्दुआ	स्थानीय शिक्षाविद्	सदस्य

9.	डॉ. अरुणा गुप्ता	सहआचार्य	पदेन सचिव
10.	डॉ.आर.एस.भाम्भी	प्राध्यापक, ई.ए.एफ.एम.	कोषाध्यक्ष
11.	डॉ. महेन्द्र गोखरु	सहायक निर्देशक , अजमेर प्रतिनिधि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा	सदस्य एवं
12.	अध्यक्ष छात्रसंघ	निर्वाचन पर	पदेन सदस्य

समिति का पंजीयन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत/248/2001-2002 दिनांक 12.02.2003 को रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर के यहां हो चुका है।

राज्य सरकार की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में महाविद्यालय में विकास कार्य निर्माण कार्य व नये विषय इत्यादि खोलने हेतु ''स्ववित्त पोषण'' की नीति है। इसी नीति के तहत महाविद्यालय में 'विकास कोष' की स्थापना की गई है। जिसमें छात्रों से सहयोग अपेक्षित है।

सत्र 2008-09 से नोलेज सेन्टर (ज्ञान केन्द्र) के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विशिष्ट कक्षाएँ प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत प्लेसमेन्ट हेतु विभिन्न कम्पनियों को आमंत्रित किया गया।

❖ ❖ ❖

दुष्टता और सज्जनता के आधार पर किसी को
नीच-ऊँच माना जाए न कि जाति पाँति के आधार पर।

पुस्तकालय

महाविद्यालय का पुस्तकालय वृहद् ज्ञान का भण्डार है, जिसमें मुक्त प्रणाली (Open Access System) को अपनाया गया है अर्थात् स्वयं पुस्तकों तक निर्बाध पहुंचकर अपनी पुस्तकें निकाल कर पढ़ सकते है। विभिन्न विभागीय पुस्तकालयों की व्यवस्था से भी विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध करवाकर ज्ञानवर्द्धन किया जाता है।

1. संग्रहण कक्ष :

पुस्तकालय में कुल 110245 पुस्तकें है, जिनमें सन्दर्भग्रन्थ, विषयानुसार ग्रन्थ, शोध ग्रन्थ, दुर्लभग्रन्थ, यथा वेद आदि और रोजगार उन्मुख ग्रन्थ इत्यादि सम्मिलित है।

2. वाचनालय कक्षः

नवीन घटनाओं और तथ्यों की जानकारी देने के लिये पुस्तकालय के वाचनालय कक्ष में 85 पत्रिकायें (जिनमें विषयानुसार, शोध और सामान्य ज्ञानवर्धक पत्रिकायें सम्मिलित है) एवं 5 दैनिक पत्र मंगवाकर विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

3. सन्दर्भ कक्ष :

सन्दर्भ ग्रन्थ, कोष, विश्वकोष, कला संम्बधी पुस्तके, मानचित्रावलियों, परीक्षा प्रश्न-पत्र एवं नियमावलियों आदि का प्रयोग केवल पुस्तकालय भवन के संदर्भ कक्ष में पढ़ने के लिये निर्गमित की जाती है। एक परिचय-पत्र पर एक से अधिक पुस्तक/पाठ्य सामग्री निर्गमित नहीं की जाती है। इसी कक्ष में रोजगार उन्मुख पुस्तकें भी जानकारी के लिए उपलब्ध है।

4. छात्र परामर्श केन्द्र :

विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकें व प्रतियोगी पुस्तकें यहा उपलब्ध है। महाविद्यालय पुस्तकालय से 799 पुस्तकें विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध करवायी गई है। सत्र 2014-15 में 9315 विद्यार्थियों ने इन उपलब्ध उपयोगी पुस्तकों, प्रतियोगी पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन कर ज्ञानार्जन किया हैं।

5. बुक-बैंक :

बुक बैंक की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से 1994-1995 में की गई है। इसमें 7595 पुस्तकें है। इसका ध्येय है कि सीमित साधनों के कारण कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पुस्तकों से वंचित न रहें। विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि, वे अध्ययन की समाप्ति पर स्वयं की पाठ्य-पुस्तकें इस बैंक में जमा करा देवें ताकि अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। बुक-बैंक से विद्यार्थियों को पूरे सत्र के लिए ऋण पर पुस्तकें प्राप्त हो सकती है।

पुस्तकालय नियम :

1. विद्यार्थी परिचय-पत्र के बिना पुस्तकालय में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा।
2. अधिकारी/कर्मचारी/विद्यार्थी अपने पास का सामान जैसे-पुस्तक, थैला, छाता इत्यादि द्वार पर नियुक्त कर्मचारी को सौंप कर उससे टोकन प्राप्त कर लें।

3. विद्यार्थी पुस्तकालय प्रवेश द्वार पर समीप रखी हुई हस्ताक्षर पंजिका में अपने हस्ताक्षर कर पुस्तकालय में प्रवेश करेगा।
4. संग्रहण कक्ष में अलमारी/रेक्स में आपने कोई पुस्तक पढ़ने हेतु बाहर निकाली है तो उपयोग के पश्चात् समीपस्थ मेज पर ही छोड़ दीजिये। पुस्तकालय कर्मचारी इन्हें यथास्थान पर रख देंगे।
5. महाविद्यालय का परिचय-पत्र दिखाने पर पुस्तकालय में स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दो, ऑनर्स कक्षाओं के विद्यार्थियों को तीन तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को चार पाठक-पत्रक दिये जाने का प्रावधान है।
6. प्रत्येक पाठक-पत्रक पर सामान्यत: 15 दिन की अवधि के लिए एक पुस्तक निर्गमित की जाती है किन्तु विशेष परिस्थिति में पुस्तक को इस अवधि से पूर्व भी मंगवाया जा सकता है।
7. पाठक-पत्रक एक सत्र के लिए मान्य है, ये अहस्तान्तरणीय है। इनके खो जाने या नष्ट हो जोने पर दूसरा पाठक-पत्रक एक माह पश्चात्, पांच रूपया प्रति पत्रक जमा कराने पर प्राप्त हो सकेगा। निर्गमित पुस्तक का पूर्ण उत्तरदायित्व पाठक-पत्रक प्राप्तकर्त्ता विद्यार्थी का होगा। सत्र की समाप्ति पर इन्हें पुस्तकालय में जमा कराना आवश्यक है। इसके अभाव में अदेय प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा।
8. विद्यार्थी जिस दिन पुस्तकें जमा कराता है उसी दिन उन्हीं पुस्तकों को पुन: निर्गमित नहीं करा सकेगा।
9. सात या सात से अधिक दिनों तक रहने वाले अवकाश में पुस्तक जमा कराने की तिथि बीच में आने पर, विद्यार्थियों को पुस्तकें महाविद्यालय खुलने के दो दिनों में जमा करानी होगी, इन दिनों के पश्चात् जमा कराने पर निर्धारित दिनांक से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।
10. पुस्तक का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए । खराब की गई, चिन्हित की गई या खोई पुस्तक का दुगुना मूल्य वसूल किया जायेगा। यदि किसी पुस्तक से एक से अधिक भाग (Volume) है तथा उसके एक भाग को विद्यार्थी द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है तो सम्पूर्ण खण्डों या भागों को दो गुना मूल्य वसूल किया जावेगा। पुस्तक लेते समय छात्र स्वयं देख लें कि पुस्तक किसी भी रूप में क्षतिग्रस्त तो नहीं है। यदि क्षतिग्रस्त है तो उस स्थान पर संम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है।
11. पुस्तकों के पन्नों को मोड़ना, फाड़ना या उन पर कुछ लिखना दण्डनीय अपराध है।
12. घर के लिये पुस्तकें, परिचय-पत्र देखकर रीडर्स टिकट पर ही दी जायेगी।
13. पुस्तकालय में अनुशासन बनाये रखे। अनुशासनहीनता की स्थिति में विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
14. पुस्तकालय से पुस्तक चुराना जघन्य अपराध है। कोई छात्र पुस्तक चुराते हुए या पुस्तक के कागज फाड़ते हुए पकड़ा गया या किसी के पास चुराई हुई पुस्तक पाई गई तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
15. पुस्तकालय के नियमित छात्र परीक्षा अवधि में पुस्तक के मूल्य की दुगनी राशि जमा करवाकर पुस्तक प्राप्त कर सकते है। पुस्तक को लौटाने पर जमा राशि लौटा दी जाती है। इसके लिए उसे पृथक से आवेदन करना होगा।

❖ ❖ ❖

प्रांगण गतिविधियां

(i) क्रीड़ा-विभाग (Games & Sports)

(क) खेल-कूद :

महाविद्यालय में निम्नलिखित खेल-कूद का प्रबन्ध है : हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो , शतरंज कुश्ती, टेबल-टेनिस, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन तथा वॉलीवॉल, एथलेटिक्स।

प्रतिवर्ष खेलकूद दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय से अनेक छात्र-छात्रायें अन्तर्महाविद्यालय खेल-प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु जाते है। विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में दक्षता प्राप्त की है। कुछ विद्यार्थियों ने राजस्थान राज्य व एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर की ओर से खेलों में प्रतिनिधित्व किया है। खेल-कूद गतिविधियों की देखरेख एक क्रीड़ा-समिति द्वारा की जाती है। जिसमें प्राचार्य, क्रीड़ा सचिव व विभिन्न खेलों के प्रभारी प्राध्यापक एवं छात्र-प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

(ख) कप्तानों की नियुक्ति सम्बंधी नियम :-

1. प्रार्थी विद्यार्थी उस सत्र में महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए तथा उसका नाम नियुक्ति के समय पर महाविद्यालय विद्यार्थी सूची में होना चाहिए।
2. प्रार्थी उस सत्र में एम.डी.एस. विश्वविद्यालय क्रीड़ा बोर्ड, अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनिवार्य योग्यता रखता हो तथा उसके लिए महाविद्यालय की ओर से उस सत्र में टीम का प्रतिनिधित्व करना भी आवश्यक है।
3. प्रार्थी विद्यार्थी के लिए उस महाविद्यालय का पूर्व में कम से एक शैक्षणिक सत्र का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है, किन्तु इसके लिए ठीक पिछले सत्र का ही नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक नहीं है।
4. प्रार्थी विद्यार्थी राजस्थान/एम.डी.एस. विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से पिछली किसी आयोजित चयन प्रतियोगिता में भाग ले चुका हो। यदि महाविद्यालय में उस खेल में इस योग्यता स्तर वाला अन्य प्रार्थी विद्यार्थी नहीं है और महाविद्यालय में वह खेल खेला जाता रहा हो अथवा उस खेल में महाविद्यालय में प्रतियोगिता आयोजन किया जाता हो और क्रीड़ा समिति यह आवश्यक समझती हो कि ऐसी परिस्थिति में समिति प्राचार्य महोदय को इस विषय पर सिफारिश कर सकती है तथा प्राचार्य द्वारा समिति की सिफारिश पर ऐसी नियुक्ति की जा सकती है।
5. यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षा में बैठने के लिए सक्षम किया जाता है तथा इस आधार पर उसे महाविद्यालय में अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है तो ऐसे विद्यार्थी की नियुक्ति कप्तान पद पर की जा सकती है। परन्तु यदि वह विद्यार्थी पूरक परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो

उसकी कप्तान पर पर नियुक्ति भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

6. यदि किसी विद्यार्थी को अशोभनीय व्यवहार, अवांछनीय गतिविधियों तथा अन्य कारणों से महाविद्यालय से निलम्बित किया जाता है तो ऐसे विद्यार्थी की नियुक्ति कप्तान पद पर नहीं की जा सकेगी, भले ही अन्ततः उसे क्षमा करके उसका निलम्बन रद्द ही क्यों न कर दिया हो। विद्यार्थी की आयोग्यता अवधि निलम्बन तिथि से पूरे एक वर्ष तक मानी जावेगी। कप्तान की नियुक्ति के पश्चात् भी उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी। छोटी घटनाओं के कारण कक्षा में बैठने के लिए निलम्बन तथा भ्रांतिपूर्ण निलम्बन के मामले को इस नियम के अन्तर्गत नहीं लिया जायेगा।

7. यदि कोई भी विद्यार्थी नियम (3) के अन्तर्गत निहित एक वर्ष तक इस महाविद्यालय का नियमित छात्र होने की अवधि वाली शर्त पूर्ण कर लेता है तथा उसने गत सत्र में इस महाविद्यालय अथवा अन्य किसी महाविद्यालय की ओर से एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रतिनिधित्व किया हो तो अन्य प्रार्थियों की अपेक्षा उसकी नियुक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी चाहे अन्य विद्यार्थियों की इस महाविद्यालय की ओर से प्रतिनिधित्व की संख्या उससे अधिक ही क्यों न हो।

8. सिर्फ उन्हीं खेलों के लिए कप्तान की नियुक्ति की जायेगी जिन खेलों को खेलने के लिए महाविद्यालय द्वारा सुविधा प्रदान की गई हो। यदि किसी भी नये खेल में महाविद्यालय की टीम भाग लेती है और उस टीम में यदि प्रथम वर्ष का छात्र जिसने महाविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के विद्यालय टीम की ओर से प्रतिनिधित्व किया हो तो उस छात्र को भी कप्तान की नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

9. एक विद्यार्थी को पूर्व में नियुक्त किये गये खेल में दूसरी बार उसी खेल में कप्तान नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक विद्यार्थी को इस महाविद्यालय में उसके सम्पूर्ण अध्ययन काल के दौरान किन्हीं भी दो खेलों से अधिक के लिए कप्तान पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। पहले और दूसरे खेल में नियुक्ति के मध्य एक सत्र का अन्तराल होना आवश्यक है ।

10. यदि दो या इससे अधिक विद्यार्थियों के मध्य प्रतिनिधित्व की संख्या के कारण ग्रन्थि आ जाती है तो उस परिस्थिति में वरीयता के निम्नलिखित आधार पर नियुक्ति की जायेगी:-

प्रथम - सभी आवेदकों में जो भी ऊँची कक्षा का विद्यार्थी हो अथवा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

द्वितीय - एक ही कक्षा में विद्यार्थी होने की दशा में पिछली विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी हो।

तृतीय - यदि उपर्युक्त दोनों नियमों के आधार पर भी ग्रन्थि नहीं सुलझती है तो उनके नाम की पर्ची डालकर नियुक्ति की जा सकेगी।

11. कप्तानों की नियुक्ति क्रीड़ा समिति की सभा में विभिन्न खेलों के प्रभारियों की सहमति से होगी।

12. कप्तानों की नियुक्ति के संबंध में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा तथा प्राचार्य उपर्युक्त नियमों के

अन्तर्गत आने वाले किसी भी अन्य छात्र की नियुक्ति कप्तान पद पर कर सकेंगे। उपर्युक्त नियमों की व्याख्या तथा उपर्युक्त नियमों में अवर्णित के संबंध में निर्णय लेने का अन्तिम अधिकार प्राचार्य का होगा।

(ग) छात्र संघ कार्यकारिणी हेतु क्रीड़ा सचिव के मनोनयन के मापदण्ड :

1. निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों में से छात्रसंघ (अध्यक्ष) द्वारा मनोनीत।
2. क्रीड़ा सचिव हेतु महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक होगा।

(घ) विद्यार्थियों को देय यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व गणवेश (यूनिफार्म) :

1. अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले खिलाड़ियों की टीम को ही भेजा जायेगा।
2. रेलवे का द्वितीय श्रेणी या रियायती दर पर बस किराया। यदि रेल्वे तथा बस में रियायती दर पर टिकट उपलब्ध नहीं हो सकता है तो पूरा किराया देय होगा।
3. दैनिक भत्ता 150 रूपये प्रति विद्यार्थी टीम के क्रीड़ा प्रतियोगिता स्थान के लिए रवाना होने से लेकर आने तक विद्यार्थी इसमें यात्रा काल भी सम्मिलित किया जायेगा। यदि विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन इस महाविद्यालय में किया गया हो तब दैनिक भत्ता आधा देय होगा।
4. निम्नलिखित परिस्थितियों में आधा दैनिक भत्ता अर्थात् 75 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की दर से देय होगा:-

   (अ) यदि टीम ब्यावर से मध्यान्ह 12 बजे के पश्चात् रवाना होती है।

   (ब) यदि टीम ब्यावर में प्रात: 10 बजे पश्चात् परन्तु सांय 4 बजे पूर्व पहुंच जाती है। प्रात: 10 बजे या उससे पूर्व पहुंचने पर उस दिन का भत्ता देय नहीं होगा।
5. सभी स्थानों के लिए तांगा किराया दोनों ओर का प्रति विद्यार्थी 75 रू. की दर से देय होगा।
6. यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगिता स्थल पर बीमार पड़ जाता है तो उसके उपचार के लिए की गई व्यवस्था व दवाइयों के बिल का भुगतान किया जायेगा, इसके लिए सरकारी डॉक्टर का पर्चा आवश्यक है। यदि ब्यावर पहुंचने के पश्चात् भी उसके उपचार की आवश्यकता समझी जाती है तो प्राचार्य की स्वीकृति प्राप्त कर उस पर व्यय की गई राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. निम्नलिखित खेलों में महाविद्यालय की ओर से एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर अथवा राजस्थान राज्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी को विशेष परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप कम

Certificate in Food And Nutrition & Certificate in Bussiness Skill

इग्नू – महाविद्यालय मे इग्नू के द्वारा कौ शल विकास से सं बं धित 2 पाठ् यक्रम सं चालित है । महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थि इन दो नो पाठ् यक्रमो मे भाग ले सकते है ।

2. उपविजेता दल के प्रत्येक सदस्य को रूपये 150 /- तक का।

(7) महाविद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर निम्नलिखित राशि तक का पारितोषिक प्रदान किया जायेगा।

प्रथम स्थान रूपये 125 /- तक का

द्वितीय स्थान रूपये 100 /- तक का

(च) खेल विकास शुल्क :-

विश्वविद्यालय के परिपत्र संख्या एम.डी.एस./एस.बी. के अनुसार प्रति सत्र खेल विकास शुल्क के रूप में प्रति छात्र से एक सौ रूपये लिये जाते हैं।

(ii) युवा विकास केन्द्र Youth Development Center.

राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार महाविद्यालय में इस सत्र से युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), रोवर/रेन्जर, मानवाधिकार क्लब, महिला प्रकोष्ठ एवं योजना मंच सम्मिलित होंगे। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा उपर्युक्त गतिविधियों में से कम से कम किसी एक का चयन करना आवश्यक होगा।

(1) राष्ट्रीय सैन्य दल (छात्र एवं छात्रा) National Cadet Corps (NCC) (Boys and Girls)

प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को एन.सी.सी. का चुनाव करने की सुविधा है। राष्ट्रीय छात्र सैन्य दल NCC इस महाविद्यालय में सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा है। इसके द्वारा छात्रों को सामरिक अस्त्र-शस्त्रों का प्रशिक्षण तथा निशानेबाजी के अवसर दिये जाते है। इसमें 16 वर्ष से 26 वर्ष की आयु तक के युवक व युवतियां भाग ले सकते है। इस योजना के अन्तर्गत भाग लेने वाले छात्रों को सत्र भर से कम कम 30 दिवस (2 पीरियड प्रति दिवस) उपस्थित रहना पड़ता है और तीन वर्ष में दो बार 10 दिवस के शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। परेड के पश्चात् नाश्ता (जलपान) 20.00 रू. प्रति परेड़ 4.00 रू. तक प्रतिमाह धुलाई भत्ता दिया जाता है। आवश्यक योग्यता रखने वाले छात्रों को 'बी' तथा 'सी' प्रमाण-पत्र परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें सफल होने पर प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता हैं। पर्वतारोहण, स्कीइंग तथा पैराट्रपिंग के लिए भी छात्रों को अवसर प्रदान किये जाते हैं।

राष्ट्रीय छात्र सैन्य दल राष्ट्र की सेवा का अनुपम अवसर प्रदान करता है। स्नातक डिग्री और एन.सी.सी. 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों हेतु सम्मिलित रक्षा सेवा में स्थान आरक्षित होते हैं ए या बी ग्रेड में उत्तीर्ण 'सी' प्रमाण-पत्र धारक अब बिना लिखित परीक्षा में बैठे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के चयन हेतु सीधे साक्षात्कार द्वारा कमीशन अधिकारी बन सकता है। अर्द्ध सैनिक बलों

तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की सेवाओं में भी इनके प्रमाण-पत्र को प्राथमिकता दी जाती है । एन.सी.सी. में भर्ती होने के इच्छुक छात्र प्रवेश के तुरन्त बाद इस हेतु एन.सी.सी. अधिकारी को सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् शारीरिक जांच एवं साक्षात्कार के बाद चयनित छात्र एन.सी.सी. में भर्ती हो सकेंगे। एन सी सी इकाई मिश्रित इकाई है जिसमे 30% स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित कुल स्थान 160 है ।

(2) राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme - N.S.S.)

राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करती है तथा मुख्य उद्देश्य सेवा एवं व्यक्तित्व विकास करने का है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां है :-

1. महाविद्यालय प्रांगण सौन्दर्यीकरण
2. अभिनवन एवं प्रशिक्षण
3. ग्राम-विकास कार्यक्रम
4. कौमी-एकता एवं युवा-सप्ताह कार्यक्रम
5. एक दिवसीय शिविर
6. प्रौढ़-साक्षरता, परिवार-कल्याण कार्यक्रम
7. पर्यावरण सुधार कार्यक्रम
8. एड्स सम्बन्धी विभिन्न जानकारिया व चेतना कार्यक्रम
9. दस दिवसीय विशिष्ट शिविर
10. आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण
11. रक्तदान, पल्स पोलियो
12. जल प्रबंधन
13. ध्यान, योग, आसनों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण।
14. उच्च शिक्षा आयुक्तालय द्वारा सुझाई गई अन्य गतिविधियाँ ।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सत्र भर में छात्र को विशेष शिविर के अतिरिक्त 120 घण्टे कार्य करना होगा। प्रांगण सौन्दर्यीकरण एवं ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिवा शिविर आयोजित किये जाते है जिसमें छात्र/छात्राएं निर्धारित गोद लिए गांव अथवा पिछड़ी बस्ती में शारीरिक श्रम, प्रौढ़ साक्षरता, परिवार कल्याण आदि कार्यक्रम आदि कार्यक्रम में भाग लेते है। नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत परिसर में अनावश्यक झाड़-झंखाड़ की सफाई, पौधों को पानी देना आदि कार्य किये जाते है। साथ ही गोद लिये गांव अथवा पिछड़ी बस्ती में यही कार्य किये जाते है।

राष्ट्रीय सेवा योजना विशिष्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत समीपवर्ती गांव अथवा पिछड़ी बस्ती में सात दिवसीय विशिष्ट शिविर आयोजित किया जाता हैं । ऐसे शिविर में छात्र/छात्राओं की अधिकतम संख्या सभी इकाईयों में 200 होगी व इनके साथ ही 4 प्रभारी व्याख्याता होंगे। खण्ड विकास अधिकारी या ऐसे ही किसी अधिकारी की सहायता से कुछ ग्रामवासी भी सम्मिलित किये जा सकते है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक इकाई में अधितम 100 विद्यार्थीयों का पंजीयन होगा। तथा महाविद्यालय में कुल 4 (चार) इकाईया (छात्र-3 छात्रा-1) संचालित है। छात्रों को कार्य सुविधा की दृष्टि से दलों में विभक्त किया जायेगा। प्रत्येक दल का एक नेता होगा जिस पर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित सम्पन्न करने का दायित्व होगा। विभिन्न वर्गों में छात्र/छात्राएं पृथक-पृथक शिविरों में सम्मिलित रूप से

कार्य करेंगे। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा इकाई अलग से कार्यरत है।

सत्रांत में सक्रिय स्वंय सेवकों को कार्यानुसार प्रमाण-पत्र दिये जाते है जो उनके भविष्य में करियर के अतिरिक्त उच्च कक्षाओं में प्रवेश के समय भी लाभ दिला सकते है। वार्षिक गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट स्वयं सेवकों को राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। श्रेष्ठ छात्र/छात्राओं को गणतंत्र दिवस परेड, नई दिल्ली हेतु भी अवसर पात्रता के आधार पर देय होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भर्ती होने के इच्छुक छात्र/छात्राएं जुलाई माह में इसका विशेष फार्म प्राप्त कर सकते है व इनके प्रभारी अधिकारियों अथवा समन्वयक से सम्पर्क कर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

(3) रोवर दल (Rover Scouts) :-

"जनहिताय एक शुभ कार्य प्रतिदिन" रोवरिंग का मुख्य उद्देश्य है। यह एक ऐच्छिक गतिविधि है। रोवल दल राजस्थान भारत स्काउट्स व गाईड्स से सम्बद्ध है। भ्रमण में रूचि रखने वाले विद्यार्थीयों को रोवरिंग अनुपम अवसर प्रदान करती है। अधिकांशतः भ्रमण तथा शिविरों के कार्यक्रम स्काउट्स मुख्यालय, जयपुर से प्राप्त होते हैं। रोवरमेट का प्रशिक्षण प्रायः आबूपर्वत पर तथा अन्तर-राजस्थान-रोवरमेट राजस्थान के ही किसी रमणीय स्थल पर दिसम्बर में आयोजित किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर भी समारोह में भाग लेने के अनेक अवसर मिलते हैं।

रोवरिंग अनुशासन, भ्रातृत्व, स्वार्थ रहित सेवा, स्वालम्बमन एवं नेतृत्व के गुणों को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण गतिविधि हैं। दल में प्रवेश के लिए स्कूल जीवन में वुल्फ-कब या स्काउट के रूप में अनुभवी विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य विद्यार्थी जो भी रूचि रखते है, प्रवेश पा सकते है।

अवधेयः- छात्र/छात्रा एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवरिंग में से केवल एक ही गतिविधि में भाग ले सकेगा।

(4) महिला प्रकोष्ठ (Women Cell) :-

महाविद्यालय की छात्राओं तथा समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के त्रि-आयामी विकास ही इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य है। इसमें छात्राओं में स्व-निर्भरता तथा आत्मविश्वास जागृत करने का प्रयास किया जाता है। छात्राओं तथा महिलाओं को प्रतिवर्ष सिलाई, फैशन डिजाईनिंग, सॉफ्ट टॉयज एवं हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जाता हैं। शैक्षणिक एवं महिला विकास संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी प्रतिवर्ष किया जाता है।

(5) योजना मंच (Planning Forum) :-

राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं की जानकारी तथा उसमें सक्रिय सहयोग प्रदान करने हेतु योजना मंच का गठन होता है। महाविद्यालय के समस्त छात्र इसके सदस्य है। महाविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा बैंकिग एवं वित्तीय प्रबन्ध विभागों के प्रवक्ता गण तथा छात्रों से कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। इसके अन्तर्गत अखिल राजस्थान अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमित छात्र ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते है। विजेताओं को

प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रविष्टियाँ संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से प्रेषित होना अनिवार्य है।

(iii) महाविद्यालय पत्रिका-मधुकशा (College Magazine) :-

विद्यार्थियों की सर्जन प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'मधुकशा' में विद्यार्थियों के मौलिक लेख, यात्रा संस्मरण, कहानी, कविता इत्यादि का प्रकाशन किया जाता है। इसमें वर्ष पर्यन्त सम्पन्न विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।

(iv) जलपान गृह (Cafeteria) :-

जलपान गृह को स्वल्पाहार की सुविधा प्रदान करता है।

(v) छात्र परामर्श केन्द्र (Student Advisory Centre) :-

गत वर्षों से संचालित यह केन्द्र विद्यार्थियों को मुख्यतः उनकी शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ढूढ़ने में सहायता करता हैं। इस केन्द्र से विद्यार्थी व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश, देश-विदेश में छात्रवृत्तियां और फैलोशिप के लिए आवेदन आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परामर्शदाता केन्द्र की गतिविधियों का निरीक्षण और समन्वय करते हैं। केन्द्र के पास अपेक्षित साहित्य उपलब्ध है। प्रतिवर्ष कार्पोरेट जगत की विभिन्न कम्पनियां विभिन्न पदों के लिए रिक्तियाँ निकालती है या महाविद्यालय परिसर में प्लेसमेन्ट हेतु आती है। उसकी सूचना भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा के पूर्व तैयारी हेतु कक्षाएं भी आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती है।

विद्यार्थियों के स्वरोजगार की जानकारी प्रदान करने हेतु उद्यमिता जागृति शिविर भी आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी सूचना पात्रता, मार्गदर्शक एवं संदर्भ पुस्तकों की सूची भी यहा उपलब्ध है। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन एवं तैयारी करावायी जाती है।

❖ ❖ ❖

दूसरों के दु:ख में अपना दु:ख अनुभव करना और दु:खी होना आध्यात्मिकता का चिन्ह है।

स्मार्ट क्लास– आयुक्तालय के आदेशनुसार महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास रुम तैयार किया गया है जिसमें राज्य के विभिन्न ई–क्लास रुम से निर्धारित विषयों पर विद्वान प्रोफेसर के द्वारा व्याख्यान का सीधा प्रसारण किया जाता है। इससे जहॉ पर व्याख्याताओं के कमी है उस महाविद्यालय के छात्र इसके द्वारा अपने कॉर्स के टॉपिक पढ सकते है। जिसका शुभारम्भ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने किया था।

-:Placement Cell:-

गत वर्षो से महाविद्यालय परिसर में प्लेसमेन्ट सेल सुचारु रुप से संचालित है, जो समय–समय पर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के हितो को मध्य नजर रखते हुऐ कैरियर गाईडेन्स व्याख्यान आयोजित करती है, एवम् रोजगार मेला भी अयोजित करती है, तथा छात्र–छात्राओं को निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।

-:RUSA:-

महाविद्यालय को RUSA इन्फास्ट्रक्चर अनुदान राशि के अन्तर्गत पहली किश्त में 50 लाख,दूसरी किश्त में। करोड रु. एवं तृतीय किश्त में 50 लाख(कुल 2 करोड)रु. प्राप्त हुए। उनमें से नव–निर्माण के अन्तर्गत 69 लाख रु. व्यय करके उपाचार्य कक्ष,विशिष्ट जन के लिए टायलेट,एन्ट्रेस हॉल एवं तीन अध्यापन कक्षों का निर्माण किया गया। महाविद्यालय में रिपेयर व रेनोवेशन संबंधी कार्यो पर 60,79,784रु. व्यय करके सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर में रेनोवेशन कार्य करवाए गए। पुस्तकें एवं उपकरण मद पर 20,17,163 रु. खर्च किए गए जिनसे लाइब्रेरी में पुस्तकें,कम्प्यूटर लैब में कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर्स, प्रोजेक्टर,ऑफिस कुर्सियां, इन्वर्टर,अग्नि–शमन यंत्र आदि खरीदे गए है।शेष राशि का भी महाविद्यालय के विकास में प्रयोग किया जावेगा।

छात्र-संघ एवं परिषदें

छात्र-संघ :

सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में छात्र-संघ का गठन किया जाता है जो महाविद्यालय प्रशासन के नियम तथा छात्र-संघ के संविधान के अन्तर्गत कार्य करेगा। छात्र संघ गतिविधियों के संचालन के लिए अलग से छात्र संघ कक्ष है। छात्र संघ के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. छात्रों को प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रशिक्षण देना।
2. छात्रों में नैतिक गुणों एवं सार्वजनिक सेवा की भावना का विकास करना।
3. छात्रों में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करना।
4. छात्र-संघ के तत्वावधान में रचनात्मक एवं छात्रोपयोगी सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण को बनाये रखने में सहयोग देना।

छात्र-संघ संविधान के अनुसार परीक्षा पूर्व तैयारी की अवधि प्रारम्भ होते ही छात्र संघ कार्यकारिणी का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जायेगा। छात्र-संघ कार्यकारिणी को अपना कार्य भार संघ अधिष्ठाता को संभलाना अनिवार्य है।

परिषदें :-

महाविद्यालय में छात्र संघ केअतिरिक्त विभिन्न संकाय के आधार पर गठित संकाय परिषदें भी कार्यशील रहेंगी, जो छात्रों में सहशैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करेगी। छात्राओं को विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता बढ़ाने तथा छात्राओं के लिए उपयुक्त कुछ विशिष्ट गतिविधियों के आयोजन की दृष्टि से छात्रा परिषद् का भी गठन होता है। महाविद्यालय में कार्यरत्त परिषदें निम्नलिखित है:-

1. मानविकी परिषद्
2. वाणिज्य परिषद्
3. विज्ञान परिषद्
4. छात्रा परिषद

वाहन नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी जो साईकिल लाता है उसे निर्धारित शुल्क महाविद्यालय में जमा कराकर साईकिल स्टैण्ड ठेकेदार से ही स्थायी टोकन प्राप्त कर उसे अपनी साईकिल पर लगाना चाहिए।
2. साईकिल स्टैण्ड पर अपनी साइकिल ताला लगाकर खड़ी करें व वहां उपस्थिति ठेकदार/उसके प्रतिनिधि से उस दिन के लिए अस्थाई टोकन प्राप्त करें अन्य स्थान पर रखी गई अथवा बिना टोकन की साईकिल का दायित्व स्वयं छात्र का होगा।
3. साईकिल स्टैण्ड के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर साइकिल खड़ी की जाती है तो एक रूपया दण्ड के रूप में देना होगा।
4. जिन साईकिलों में टोकन नहीं होगा, उन्हें स्टैण्ड पर रखने के लिए एक रूपया प्रति साईकिल प्रतिदिन देना होगा, जिसके लिये उसे ठेकदार से अस्थाई टोकन प्राप्त करना होगा।
5. साईकिल के टोकन अहस्तान्तरणीय है। यदि कोई विद्यार्थी अपना टोकन किसी अन्य विद्यार्थी को हस्तान्तरित करता है उसे पांच रूपया दण्ड देना होगा।
6. यदि साईकिल का स्थाई टोकन खो जाए तो आवश्यक जांच-पड़ताल के पश्चात् पांच रूपये देने पर ठेकेदार नया टोकन देने की आज्ञा प्रदान कर सकते है। यह टोकन साईकिल की अतिरिक्त संख्या नहीं बढ़ायेगा। अस्थाई टोकन खो जाने पर उसे एक रूपया दण्ड देना होगा।
7. उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन होने पर साईकिल के संबंध में महाविद्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा।
8. स्कूटर, मोटर-साईकिल तथा कार लाने वाले छात्र को भी ठेकेदार से स्थाई टोकन प्राप्त कर उसे साइकिल स्टैण्ड पर ही रखे व प्रतिदिन ठेकदार/उसके प्रतिनिधि से अस्थाई टोकन प्राप्त करें स्टेण्ड के अलावा अन्य स्थान पर रखने पर खोये स्कूटर, मोटर-साइकिल, मोपेड़ तथा कार का दायित्व स्वयं छात्र का होगा। वाहन में कोई कीमती सामान(यथा-मोबाईल)ना रखें।
9. वाहन संबंधी विवादों की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. साईकिल स्टैण्ड पर नियमानुसार वाहन खड़ा होने की स्थिति में खो जाने पर या वाहन में कोई नुकसान हो जाने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।

❖ ❖ ❖

मानवता की सेवा से बढ़ कर और कोई काम बड़ा नहीं हो सकता।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य — डॉ.आर.सी.लोढा
उपाचार्य —

संकाय सदस्य
व्यावसायिक प्रशासन विभाग

1. डॉ. सुलक्ष्मी तोषनीवाल प्रभारी

लेखा एवं सांख्यिकी विभाग

1. प्रो. रामस्वरूप भाम्बी प्रभारी
2. श्रीमती महिमा गुप्ता

ई.ए.एफ.एम. विभाग

1. प्रो. एस.एस. परमार प्रभारी

भौतिकशास्त्र विभाग

1. डॉ. रामचन्द्र चौहान – प्रभारी

प्राणीशास्त्र विभाग

1. डॉ. दीपाली लाल – प्रभारी
2. श्रीमती पूजा देवन्दा
3. प्रो. विकास सक्सेना
4. श्रीमती निशा सिरोया

रसायनशास्त्र विभाग

1. डॉ. सोनराज मोसलपुरी प्रभारी
2. डॉ. मीनाक्षी सक्सेना 7A गुणवंती
3. डॉ. चन्द्रेश पारीक 7B अशोक जी
4. डॉ. दुष्यन्त पारीक 7C वन्दना
5. डॉ. सरला कुमारी 7D आशा
6. प्रो. नरेन्द्र निर्वाण

गणित विभाग

1. प्रो. मुरलीधर उपाध्याय – प्रभारी

वनस्पतिशास्त्र विभाग

1. डॉ. शशि गुप्ता – प्रभारी
2. डॉ. निशा शर्मा
3. डॉ. रेखा टोडरवाल
4. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद काठेड़

समाजशास्त्र विभाग

1. डॉ. हरीश गुजराती प्रभारी
2. प्रो. नरेशकुमार जटिया
3. डॉ. अंजली जयपाल
4. डॉ. संध्या जयपाल
5. डॉ.सीमा शर्मा

भूगोल विभाग

1. डॉ.रंगलाल सुवासिया प्रभारी
2. डॉ. राजेश शर्मा
3. डॉ. नरेन्द्रकुमार साद
4. श्रीमती रजनी वरुण
5. श्रीमती सरोज गोस्वामी

संस्कृत विभाग

1. डॉ.कामना सहाय प्रभारी
2. प्रो.शैलजा अग्निहोत्री
3. डॉ. सहदेव शास्त्री
4. डॉ. आशुतोष पारीक

इतिहास विभाग

1. डॉ. नरेन्द्र सिंह भाटी
2. श्रीमती बिन्दु तिवारी – प्रभारी
3. डॉ. वीरेन्द्र सिंह भाटी
4. डॉ. धीरजपुरी गोस्वामी
5. प्रो. जलालुद्दीन
6. प्रो. आर.एस. सोनवाल
7. प्रो. मन्दरूप राम देवड़ा

राजनीतिक विज्ञान विभाग

1. श्रीमती रोमिला बाली – प्रभारी
2. प्रो. गिरीश सिंह
3. डॉ. बृजकिशोर
4. डॉ. पूजा वरूण

हिन्दी विभाग

1. डॉ. वीना सोनी–प्रभारी
2. डॉ. अनिता अग्रवाल
3. श्रीमती सुनिता अवस्थी
4. श्रीमती दीपाली शर्मा
5. श्रमती प्रतिमा खटुमरा

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ. अरुणा गुप्ता–प्रभारी
2. प्रो. सुप्रतीक पाठक
3. प्रो. धीरज कुमार पारीक
4. प्रो. रामप्रताप मीणा

अंग्रेजी विभाग

1. श्रीमती नलिनी पारीक – प्रभारी
2. श्रीमती संजना शर्मा

संगीत विभाग

1. डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी

पुस्तकालयाध्यक्ष

1. श्री अशोक कुमार

सहायक लेखाधिकारी – श्री घनश्याम तंवर

मंत्रालयिक कर्मचारी

अति. प्रशासनिक अधिकारी – श्री सत्यनारायण शर्मा

आशु लिपिक – श्री राजेश भंवरिया

सहा.प्रशा.अधि. – श्री देवेन्द्रसिंह यादव

लिपिक ग्रेड.I – श्री चांदकरण सोनी

लिपिक ग्रेड.II – श्री कैलाश चंद कुम्हार

श्री राजेन्द्रसिंह दगदी

प्रयोगशाला सहायक – 1. श्री मोतीलाल कुमावत
2. श्री दीपक कुमार जोरम
3. श्री नोरतमल भाटी

तबलावादक – रिक्त

जमादार – रिक्त

दफ्तरी – रिक्त

बुक लिफ्टर –

लेब बॉय – रिक्त

सहायक कर्मचारी – श्री गुलाबचन्द चौंवरिया

श्री सत्यनारायण पाराशर

श्रीमती रामेश्वरीदेवी

श्रीमती वरजी देवी

श्री मनमोहन

श्री हरदेव गुर्जर

श्रीमती लक्ष्मी देवी

श्री दीपक कुर्डिया

श्री राधेश्याम

संस्कृत विभाग

1. डॉ.कामना सहाय प्रभारी
2. प्रो शैलजा अग्निहोत्री
3. डॉ. सहदेव शास्त्री
4. डॉ आशुतोष पारीक

इतिहास विभाग

1. डॉ. नरेन्द्र सिंह भाटी
2. श्रीमती बिन्दु तिवारी – प्रभारी
3. डॉ. वीरेन्द्र सिंह भाटी
4. डॉ. धीरजपुरी गोस्वामी
5. प्रो. जलालुद्दीन
6. प्रो. आर.एस. सोनवाल
7. प्रो. मन्दरूप राम देवड़ा

राजनीतिक विज्ञान विभाग

1. श्रीमती रोमिला बाली – प्रभारी
2. प्रो. गिरीश सिंह
3. डॉ . बृजकिशोर
4. डॉ पूजा वरूण

हिन्दी विभाग

1. डॉ. वीना सोनी–प्रभारी
2. डॉ. अनिता अग्रवाल
3. श्रीमती सुनिता अवस्थी
4. श्रीमती दीपाली शर्मा
5. श्रमती प्रतिमा खटुमरा

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ. अरुणा गुप्ता–प्रभारी
2. प्रो. सुप्रतीक पाठक
3. प्रो. धीरज कुमार पारीक
4. प्रो. रामप्रताप मीणा

अंग्रेजी विभाग

1. श्रीमती नलिनी पारीक – प्रभारी
2. श्रीमती संजना शर्मा

संगीत विभाग

1. डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी

पुस्तकालयाध्यक्ष

1. श्री अशोक कुमार

सहायक लेखाधिकारी – श्री घनश्याम तवर

मंत्रालयिक कर्मचारी

अति. प्रशासनिक अधिकारी – श्री सत्यनारायण शर्मा

आशु लिपिक – श्री राजेश भंवरिया

सहा.प्रशा.अधि. – श्री देवेन्द्रसिंह यादव

लिपिक ग्रेड.I – श्री चांदकरण सोनी

लिपिक ग्रेड.II – श्री कैलाश चंद कुम्हार

श्री राजेन्द्रसिंह दगदी

प्रयोगशाला सहायक – 1. श्री मोतीलाल कुमावत
2. श्री दीपक कुमार जोरम
3. श्री नोरतमल भाटी

तबलावादक – रिक्त

जमादार – रिक्त

दफ्तरी – रिक्त

बुक लिफ्टर –

लेब बॉय – रिक्त

सहायक कर्मचारी – श्री गुलाबचन्द चौंवरिया

श्री सत्यनारायण पाराशर

श्रीमती रामेश्वरीदेवी

श्रीमती वरजी देवी

श्री मनमोहन

श्री हरदेव गुर्जर

श्रीमती लक्ष्मी देवी

श्री दीपक कुर्डिया

श्री राधेश्याम

वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अध्ययन केन्द्र :- स. ध. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

इस महाविद्यालय में 1984 से खुला विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित है तथा व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है। अनेक स्नातक पूर्व, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवम् व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रवेश, अध्ययन हेतु सम्पर्क कक्षाएं परीक्षा आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

इस केन्द्र से लगभग 1000 विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा का लाभ उठा रहे है। व्यवस्थित संचालन की जिम्मेदारी मुख्य समन्वयक, समन्वयक, परामर्शदाताओं, कनिष्ठ लिपिकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक कर्मचारियों पर है। अतिरिक्त जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाईट www. sdgcollegebwr.in का अवलोकन करें।

रैगिंग के विरूद्ध चेतावनी (विद्यार्थी हित में)

भारत सरकार के राजपत्र सं. 27 दिनांक 4-7-2009, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक दिनांक 26-10-09, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के पत्रांक सं. 53033-330 दिनांक 23-11-09 तथा माननीय न्यायालयों के निर्देशानुसार महाविद्यालय में रैगिंग लेना व उसमें किसी भी प्रकार की लिप्तता दण्डनीय अपराध है। प्रवेश फार्म के साथ विद्यार्थी एवं उसके अभिभावक द्वारा आवश्यक रूप से भरने योग्य शपथ-पत्र संलग्न हैं, जिन्हें पूर्ण कर जमा करावें। रैगिंग संबंधी कोइ भी शिकायत सीधे ही नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन अथवा महाविद्यालय की रैगिंग रोकने हेतु गठित समिति सदस्यों के निम्नलिखित चल दूरभाष नम्बरों पर की सकती हैं-

1. डॉ. रोमिला बाली	9414009802
2. डॉ. नरेन्द्र कुमार साद	9928337322
3. डॉ. अशोक कुमार	8946971681

यद्यपि इस विवरिणका में सभी सरकारी आदेशों/नियमों/सूचनाओं को प्रकाशित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई हैं, फिर भी विसंगति होने पर मूल आदशों/नियमों/सूचनाओं को ही अधिकृत माना जाये।